

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड

बाल आश्रम परिसर, कचहरी चौक, मुख्यालय-रायपुर

// आयोजीनयुक्त नमक क्रय हेतु निविदा 0"kl 2010&11 //

छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों में स्थित निगम के गोदामों में आयोजीनयुक्त नमक **ISI स्टैंडर्ड** प्रदाय हेतु भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के उद्यम तथा प्रतिष्ठित निर्माताओं, जिनका नमक आयुक्त, भारत सरकार द्वारा जीवित पंजीयन हो, इच्छुक नमक निर्माताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु दस्तावेज ।

1.	निविदाकार का नाम एवं पता	श्री मेसर्स
2.	फर्म का पंजीयन क्रमांक
3.	निविदा फार्म का मूल्य	रुपये 1000.00 (वाणिज्य कर अतिरिक्त)
4.	निविदा फार्म के मूल्य की मनी रसीद क्रमांक एवं दिनांक
5.	निविदा फार्म के विक्रय हेतु अंतिम दिनांक एवं समय	04.03.2010 समय 5.30 बजे अपरान्ह तक
6.	निविदा जमा करने हेतु अंतिम तारीख एवं समय	05.03.2010 समय 2.00 बजे अपरान्ह तक
7.	निविदा विक्रय हेतु निर्धारित स्थान	छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड बाल आश्रम परिसर, कचहरी चौक, मुख्यालय - रायपुर
8.	निविदा खोले जाने की तारीख एवं समय	05.03.2010 समय 3.00 बजे अपरान्ह
9.	निविदा जमा/खोले जाने का स्थान	छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड बाल आश्रम परिसर कचहरी चौक, मुख्यालय-रायपुर

टिप्पणी :-

1. निविदा खोलने के लिये निर्धारित तारीख को यदि अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के पश्चात अगले कार्यकारी दिवस को खोली जायेगी लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये गये समय में परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है एवं दो प्रतियों में जारी किया जायेगा। निविदा की द्वितीय प्रति निविदाकार द्वारा रखी जायेगी।
3. निविदा दस्तावेज की मूल प्रति में ही प्रस्तुत की जावेगी एवं इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सीलयुक्त हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
4. निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट www.cg.gov.in पर उपलब्ध है । निविदा प्रपत्र वेबसाईट से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जा सकता है । इस हेतु, निविदा प्रपत्र का शुल्क रूपये 1040.00 की डी.डी. छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लि. रायपुर के नाम से देय, टेक्नीकल बीड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा टेक्नीकल बीड में निविदा अमान्य होगी ।
5. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा फार्म में पृष्ठ 01 से 17 तक समाहित है ।

निविदा फार्म जारी करने वाले

// उद्बोधन //

प्रिय निविदाकार,

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन के लिए तथा उसकी ओर से प्रबंध संचालक द्वारा मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में स्थित गोदामों में नमक प्रदाय हेतु भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के उद्यमों एवं प्रतिष्ठित नमक निर्माताओं से नमक क्रय (एफ.ओ.आर.) वित्तीय वर्ष 2010-11 (अर्थात् 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक) के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

2. उल्लेखनीय है, कि यह कार्पोरेशन कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध होकर छत्तीसगढ़ शासन के उपक्रम के रूप में वर्ष 2001 से कार्यरत है। कार्पोरेशन द्वारा मुख्यतः जन उपयोगी कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें खाद्यान्न/शक्कर/नमक/दलहन/तिलहन/बारदाना आदि की खरीदी/वितरण/विक्रय सम्मिलित है।
3. इस निविदा दस्तावेज में संलग्न परिशिष्ट में निविदा के निर्देश और मार्गदर्शक सूचनायें, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्तें, तथा छत्तीसगढ़ स्थित प्रदाय केन्द्रों, जहां नमक का भंडारण किया जाना है, का विवरण दिया गया है। निविदाकार से अनुरोध है, कि कृपया इन दस्तावेजों को भली भांति पढ़ने और समझने के बाद ही अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें भरें। निविदा फार्म में निर्धारित **परिशिष्ट-छः** में साफ-साफ शब्दों व अंकों में अंकित करें।
4. निविदाकार से यह भी अनुरोध है, कि निविदा फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर इसके लिए नियत स्थान पर सील सहित हस्ताक्षर करें। निविदा सूचना के प्रकाशन अनुसार भरे हुए निविदा फार्म निगम मुख्यालय रायपुर में अथवा निविदा सूचना में प्रकाशित स्थान में दर्शाई गई तारीख तक निर्धारित समय तक स्वीकार किए जायेंगे। प्राप्त निविदायें उसी दिन निर्धारित समय पर उपस्थित निविदाकारों के समक्ष उपरोक्तानुसार खोली जायेंगी। निविदायें खोलने के समय निविदाकार स्वयं या उसका प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर उपस्थित हो सकेगा। किसी भी दशा में डाक द्वारा प्रेषित निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
5. इस उद्बोधन सहित, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश व मार्ग दर्शक सूचनायें, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्तें, निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदि इस आयोजीनयुक्त नमक क्रय संविदा के अभिन्न अंग हैं और निविदाकार इनसे आबद्ध रहने के लिए बाध्य होगा।

आयोजीनयुक्त नमक क्रय निविदा हेतु निम्न बिन्दु विशेष ध्यान देने योग्य हैं-

- (अ) निविदा में उपयुक्त दरें प्राप्त न होने पर निविदा के मात्र वैध प्रथम निविदाकार से निविदा दरों पर निगोशियेशन किया जा सकेगा। यदि उपरोक्त कार्यवाही के बाद भी निविदा में युक्तिसंगत दरें प्राप्त नहीं हुई तो कार्पोरेशन को यह अधिकार रहेगा कि निविदा में प्राप्त दरों की न्यूनता के क्रम अनुसार अन्य संबंधित निविदाकारों को क्रास आफर देकर सहमत कराने की कार्यवाही करें।
- (ब) निविदाकर्ता निविदा के साथ ही वांछित दस्तावेज यथा नमक एवं पॉलिपैक का संपल, अमानत राशि, फर्म का पंजीयन, नमक आयुक्त द्वारा जारी जीवित पंजीयन, इंकम टेक्स रिटर्न एवं पेन (PAN) (यदि निविदाकार आई.एस.आई. मार्का नमक उत्पादक है तो आई.एस.आई. प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा) आदि अनिवार्य रूप से संलग्न करें। उक्त वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी, तथा प्राप्त ई.एम.डी. भी राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।
- (स) **निविदाकार को इस निविदा के साथ संलग्न :- निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण** को पूर्ण रूपेण एवं फोटो संलग्न करते हुए भरा जाना अनिवार्य है। कृपया इसका विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक विवरण अपेक्षित विवरण के साथ पूर्ण भरा जाना है।

उक्तानुसार आपसे अनुरोध है, कि संबंधित परिशिष्ट एवं दस्तावेजों का भलीभांति अध्ययन कर कार्पोरेशन के वृहद, जन उपयोगी और व्यवसायिक कार्यों में सहभागिता के दृष्टिकोण से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्रस्तुत करें।

शुभकामनाओं सहित,

प्रबंध संचालक

**छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)**

// निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न परिशिष्टों का विवरण //

निविदा दस्तावेज के साथ निम्नानुसार परिशिष्ट संलग्न हैं जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर कर अपने सील अंकित की जावेगी एवं समस्त परिशिष्ट निविदा दस्तावेज के अभिन्न अंग माने जावेंगे ।

परिशिष्ट - एक	इस परिशिष्ट पर आयोडीनयुक्त नमक क्रय निविदा संबंधी प्रक्रिया एवं निविदा हेतु परिभाषाएं दर्शित है ।
परिशिष्ट - दो	इस परिशिष्ट पर प्रदाय किये जाने वाले आयोडीनयुक्त नमक से संबंधित निविदा के नियम एवं शर्तें उल्लेखित है ।
परिशिष्ट - तीन	इस परिशिष्ट पर आयोडीनयुक्त नमक के भुगतान एवं डिलेवरी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है ।
परिशिष्ट - चार	इस परिशिष्ट पर छत्तीसगढ़ स्थित प्रदाय केन्द्र / गोदाम का विवरण, जहां आयोडीनयुक्त नमक की पूर्ति किया जाना है, की जानकारी दी गई है ।
परिशिष्ट - पांच	इस परिशिष्ट पर निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण चाहा गया है ।
परिशिष्ट - छः	इस परिशिष्ट पर छत्तीसगढ़ स्थित विभिन्न प्रदाय केन्द्रों पर आयोडीनयुक्त नमक की प्रदाय दर प्रति क्विंटल की दर से (एफ0ओ0आर0) चाही गई है ।
परिशिष्ट - सात	इस परिशिष्ट पर आयोडीनयुक्त नमक क्रय संबंधी अनुबंध पत्रक का प्रारूप है जो कि सफल निविदाकारों द्वारा रुपये 100/- के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित किया जावेगा ।

समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें प्रस्तुत करें ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से प्रस्तुत हो सके ।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)

// निविदा दस्तावेज //

// आयोडीनयुक्त नमक (ISI स्टैंडर्ड) क्रय की निविदा संबंधी प्रक्रिया //

01. मुहरबंद निविदा :-

इच्छुक नमक निर्माताओं द्वारा प्रदाय किये जाने वाले नमक का प्रतिनिधि सैंपल एवं निर्धारित गुणवत्ता का पॉलिपैक जो 60 माईक्रान का हो, निविदा के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है ।

नमक का सैंपल एवं पॉलिपैक तथा अमानत राशि एवं अन्य वांछित दस्तावेज यथा फर्म का पंजीयन, नमक आयुक्त द्वारा जारी जीवित पंजीयन, इन्कमटैक्स रिटर्न एवं पेन (PAN) (यदि निविदाकार आई.एस.आई. मार्का नमक उत्पादक है तो आई.एस.आई. प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा) अलग से मुहरबंद लिफाफे में रखकर प्रस्तुत किया जाना होगा एवं लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **टेक्नीकल बीड (TECHNICAL BID)** लिखकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

निविदा दर एक अन्य सीलबंद लिफाफे में जिस पर **प्राइज बीड (PRICE BID)** लिखा हो, पृथक से प्रस्तुत करना होगा । ऐसे निविदाकारों जिनके द्वारा **टेक्नीकल बीड** में क्वालिफाई नहीं किया गया है उनकी **प्राइज बीड** नहीं खोली जावेगी एवं निविदा को अमान्य कर दिया जावेगा ।

जिस प्रदायकर्ता द्वारा सीलबंद लिफाफे में सैंपल प्रस्तुत नहीं किया जावेगा ऐसे निविदादाताओं की दर संबंधी निविदा का लिफाफा नहीं खोला जावेगा एवं उनकी निविदा अमान्य कर दी जावेगी ।

02. अर्नेस्ट मनी :-

निविदा के साथ रुपये 10,00,000.00 (रुपये दस लाख मात्र) की अमानत राशि का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट **छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर** के पक्ष में देय संलग्न करना अनिवार्य है ।

03. निविदा में हस्ताक्षर :-

निविदा प्रपत्र में निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर करने के उपरांत उसका पूरा नाम, पूरा पता एवं किस हैसियत से, जैसा कि स्वामी, भागीदार, कंपनी सचिव, प्रबंध संचालक, मुख्तयार या संचालक के रूप में हस्ताक्षर किया, उसका उल्लेख करना अनिवार्य है । निविदाकार की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा अगर निविदा प्रस्तुत की जाती है, तो इस संबंध में पावर ऑफ एटार्नी दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । मूल पावर ऑफ एटार्नी के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा । अगर कंपनी / समिति, द्वारा पावर ऑफ एटार्नी जारी किया जाता है, तो पावर ऑफ एटार्नी दस्तावेज पर सभी भागीदारों के नाम सहित फर्म/कंपनी/समिति प्रमुख के हस्ताक्षर मय सील होना अनिवार्य है । भागीदारी फर्म होने की दशा में भागीदार के नाम, पता, फोटो, पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति सहित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । निविदा दस्तावेज मूल प्रति में ही प्रस्तुत किया जावेगा एवं **इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है ।**

04. निविदा दर प्रस्तुत करने के संबंध में :-

निविदाकार निर्धारित निविदा दस्तावेज में संलग्न **परिशिष्ट-04**, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित विभिन्न जिलों के गोदामों रायपुर, धमतरी, दुर्ग, महासमुंद, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, जांजगीर (अकलतरा), कोरबा, सरगुजा (विश्रामपुर), कोरिया, जगदलपुर, बीजापुर, नारायणपुर, द.ब.दंतेवाड़ा, एवं उ.ब.कांकेर स्थित स्थानीय गोदामों की जानकारी दी गई है । उक्त स्थानों के लिए आयोडीनयुक्त नमक प्रदाय हेतु प्रति क्विंटल दर अंकों एवं शब्दों में लिखकर प्रस्तुत किया जाना होगा । निविदा दर प्रस्तुत करने के पूर्व छत्तीसगढ़ के रेल / सड़क मार्गों को देखते हुए दरें प्रस्तुत करें जो बाद में परिवर्तनीय नहीं होगा ।

फैक्स, कोरियर अथवा किसी प्रकार के डाक के माध्यम से अथवा खुले (बिना सीलबंद लिफाफा) में प्राप्त निविदाएं विचार योग्य नहीं होगी।

निविदा साफ एवं स्पष्ट रूप में भरी जावे। निविदा दस्तावेज प्रपत्र में किसी तरह की ओव्हर राईटिंग मान्य नहीं किया जावेगा। कांट-छाट होने की स्थिति में उस पर निविदाकार का पूर्ण हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

निविदा प्रपत्र में निविदाकर्ता अपना पूर्ण हस्ताक्षर करें। निविदाकार को आयोडीनयुक्त नमक छत्तीसगढ़ में प्रेषण के दौरान आवश्यक परमिट इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करना होगा तथा इसमें विभाग / संस्था किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेगा, और न ही किसी प्रकार के कर भुगतान या अन्य भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

प्रस्तुत किए जाने वाले वांछित दस्तावेज को निविदाकार द्वारा स्वयं हस्ताक्षर करने उपरांत नोटरी से सत्यापन कराना अनिवार्य है।

05. जमानत राशि जमा करने के संबंध में :-

निविदा स्वीकृत होने की दशा में सात दिवस के भीतर रूपये 20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) की जमानत राशि जमाकर कार्पोरेशन के पक्ष में अनुबंध निष्पादन करना होगा। प्रतिभूति राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट जो प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के नाम से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाना होगा।

05. (अ)

संविदा निष्पादित करते समय निविदा फार्म के साथ जमा की गई बयाने की राशि (अर्नेष्ट मनी) समयोजित की जा सकेगी।

06. आयोडीनयुक्त नमक क्रय की मात्रा :-

नमक की प्रतिमाह लगभग 7500 मे0टन की आवश्यकता होगी तथा नमक प्रदाय हेतु क्रमिक रूप से प्रतिमाह आवश्यकतानुसार 8000 मे.टन से 16000 मे.टन, नमक प्रदाय के आदेश दिये जा सकते जिसकी पूर्ति करने की बाध्यता अनुबंधित नमक निर्माता की रहेगी। इस प्रकार एक वर्ष में अनुमानित मात्रा 90000 मे.टन की पूर्ति करना होगा जो आवश्यकतानुसार कम या अधिक हो सकती है।

संविदा की अवधि के दौरान किसी निश्चित मात्रा में आयोडीनयुक्त नमक प्रदाय आदेश देने की गारंटी नहीं दी जा सकती है। निगम मुख्यालय से लगभग अनुमानित साप्ताहिक/पाक्षिक प्रदाय मात्रा की जानकारी यदि निर्माता चाहे तो प्राप्त कर सकता है किन्तु वास्तविक मात्रा कम या अधिक हो सकती है। जब-जब आयोडीनयुक्त नमक की आवश्यकता होगी वह यथा संभव प्रदाय हेतु आदेश निर्माता को सौंपा जायेगा। यदि कभी कोई आयोडीनयुक्त नमक क्रय आदेश अथवा नमक क्रय की मात्रा कम या अधिक रही, तो इसके लिए निर्माता कार्पोरेशन को या उसके विरुद्ध कोई दावा नहीं कर सकेगा एवं कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

संविदा के पक्षकार नमक निर्माता एवं प्रबंधक (नमक), छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड हैं।

07. निविदा स्वीकार करने संबंधी :-

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड को आयोडीनयुक्त नमक प्रदाय निविदा हेतु किसी भी निविदा को बिना किसी कारण के मान्य / अमान्य / पूर्ण अथवा आंशिक रूप से मान्य करने अधिकार निगम के प्रबंध संचालक के पास पूर्णतः सुरक्षित है।

// आयोडीनयुक्त नमक (ISI स्टैंडर्ड) निविदा हेतु परिभाषाएं //

1. आयोडीनयुक्त नमक से तात्पर्य प्रदाय किया जाने वाला नमक पी.एफ.ए. एक्ट के अंतर्गत निर्धारित मानक स्तर का तथा पैकिंग के समय आयोडीन की मात्रा 30पी.पी.एम. गुणवत्ता का होना चाहिए एवं 06 माह की अवधि तक 15 पी.पी.एम. होना अनिवार्य है । प्रदाय किया जाने वाला नमक **(ISI स्टैंडर्ड)** होना आवश्यक है ।
2. **निविदा दस्तावेज** से तात्पर्य आयोडीनयुक्त नमक क्रय निविदा हेतु जारी निविदा सूचना के संदर्भ में निविदाकार द्वारा कार्यालय से विधिवत क्रय किया गया दस्तावेज । (मूल प्रति)
3. **संविदा** से तात्पर्य है कि निविदा बुलाना, निविदा प्रक्रिया तथा निविदा में उल्लेखित निर्देश, निविदा संबंधी दस्तावेज, अनुबंध एवं शेडयूल के अंतर्गत स्वीकार करना एवं निविदा से संबंधित सामान्य एवं सभी शर्तें सम्मिलित है ।
4. **निगम** शब्द का तात्पर्य होगा, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर है ।
5. **प्रबंध संचालक** का तात्पर्य यह होगा कि छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, जैसा यथास्थिति हो, जिसके प्रशासकीय नियंत्रण में क्रमशः छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड के व्यवसायिक निविदा संबंधी कार्य सम्पादित होना है ।
6. **विक्रेता** शब्द से तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, समिति या संस्था जिसने इस निविदा में भाग लिया है या निविदा प्राप्त किया है । इस तात्पर्य के अंतर्गत व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, संस्था की ओर से विधिवत अधिकृत व्यक्ति भी मान्य होंगे ।
7. **निर्माता** शब्द से तात्पर्य ऐसे आयोडीनयुक्त नमक निर्माता कंपनी जो नमक आयुक्त, भारत सरकार से पंजीकृत हो ।
8. **दर** शब्द से तात्पर्य यह होगा कि दर जो निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा जो जिसे निगम द्वारा अंतरिम या अंतिम रूप से मान्य किया गया है।
9. **अनुबंध** शब्द का अर्थ यह होगा कि आयोडीनयुक्त नमक क्रय हेतु निगम एवं नमक निर्माता के बीच संविदा करार ।

// निविदा की नियम एवं शर्तें //

1. निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत निविदा दरें निविदा दिनांक से 90 दिवस तक वैध रहेगी जिसे मानने हेतु निविदाकार बाध्य रहेगा ।
2. निविदाकर्ता का यह दायित्व होगा कि वे निविदा भरने से पूर्व छत्तीसगढ़ स्थित प्रदाय केन्द्रों, सड़क/रेल मार्ग का भली-भांति अवलोकन / परीक्षण करें । दरें भरने से पूर्व सभी पहलुओं पर अपनी संतुष्टि कर लें । निविदा भरने या खुलने उपरांत इसमें किसी प्रकार का स्पष्टीकरण, मार्गदर्शन, विवाद मान्य नहीं होगा ।
3. आयोडीनयुक्त नमक क्रय निविदा में उल्लेखित क्रय मात्राएं अनुमानित हैं, जिसमें बाद में घट-बढ़ हो सकती है ।
4. आयोडीनयुक्त नमक का क्रय शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित नीति निर्देशों के अनुसार किया जायेगा । शासन की नीति अथवा आदेश होने पर निविदा स्वीकृति के बाद भी क्रय रोका जा सकता है । इससे अगर नमक निर्माता को किसी प्रकार की हानि होती है, तो इसकी जवाबदारी निगम की नहीं होगी ।
5. प्राप्त निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार निगम के प्रबंध संचालक के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा, तथा इस संबंध में किसी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा । निविदाकार / नमक निर्माता की यह जिम्मेदारी होगी कि निविदा दरों में नमक प्रेषण करने हेतु समस्त प्रचलित लायसेंस, परमिट, अन्य वैधानिक दस्तावेज की व्यवस्था स्वयं करें । इसमें निगम द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जावेगा । दस्तावेज के अभाव में या गलत जानकारी प्रस्तुत करने से कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी नमक निर्माता की रहेगी । अन्यथा की स्थिति में अनुबंधित फर्म की जमा अमानत / जमानत राशि निगम के पक्ष में राजसात कर नाम काली सूची में दर्ज की जावेगी ।
6. निविदा के साथ रूपये 10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) की अमानत राशि का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के पक्ष में रायपुर (छ.ग.) शाखा पर देय संलग्न करना अनिवार्य है । निविदा स्वीकृत होने की दशा में सात दिवस के भीतर रूपये 20,00,000.00 (रूपये बीस लाख मात्र) की जमानत राशि कार्पोरेशन के पक्ष में जमा कर अनुबंध निष्पादन करना होगा ।
6. अ) निर्धारित अवधि में करार निष्पादित नहीं करने की स्थिति में निविदा फार्म के साथ जमा बयाने की राशि (अर्नेस्ट मनी) यथास्थिति अनुसार कार्पोरेशन के हित में जप्त कर ली जावेगी । इसके लिए आवश्यक नहीं होगा कि कार्पोरेशन संबंधित को अलग से सुनवाई का अवसर प्रदान करें ।
7. आयोडीनयुक्त नमक क्रय हेतु निविदा छ.ग.स्थित बेसडिपो / गोदामों (परिशिष्ट 04 अनुसार) के स्थानीय गोदामों पर (एफ.ओ.आर.) पहुंचाकर स्टेकिंग करने तक की दर चाही गई है ।
8. जमा अर्नेस्ट मनी एवं सिक्यूरिटी राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
9. निविदा भरते समय निविदाकार अपने तरफ से किसी प्रकार की शर्तें/टीप प्रस्तुत निविदा में उल्लेख नहीं करेगा । यदि निविदाकार के द्वारा ऐसा किया जाता है तो प्रस्तुत निविदा अवैध घोषित की जा सकती है ।
10. forj.k आदेश (Delivery Schedule) संभवत साप्ताहिक या पाक्षिक रेल या रोड परिवहन से करने हेतु दिया जावेगा । आदेशित मात्रा अनुसार निर्धारित समय में नमक उपलब्ध कराने हेतु प्रदायकर्ता फर्म की बाध्यता रहेगी ।

कृ.प.उ.8

11. निर्धारित forj.k आदेशित मात्रा अनुसार नमक उपलब्ध नहीं कराए जाने की दशा में विलंबित मात्रा के लिए 5.00 रुपये प्रति टन प्रति दिन की दर से पेनाल्टी बतौर राशि वसूली की जा सकती है तथा प्रदायकर्ता द्वारा पूर्ति नहीं किये जाने की दशा में सरप्लस नमक वाले प्रदाय केन्द्र से कमी वाले प्रदाय केन्द्र को परिवहन किये जाने की दशा में परिवहन एवं अन्य खर्चों की वसूली प्रदायकर्ता फर्म से की जावेगी। forj.k vkn's k fnuk'd l s vf/kdre 30 fnuk's ds vnj ued ink; djuk gksxk vU; Fkk 30 fnuk's l s vf/kd gkus ij i ūkYVh ykxw gksxhA
12. यदि अनुबंधित नमक निर्माता निगम द्वारा दिये गये नमक प्रदाय आदेश के अनुसार नमक प्रदाय नहीं करता है तो निगम को यह अधिकार होगा की वह संविदा को बिना रद्द किए स्वतंत्र रूप से निविदा में भाग लिये न्यूनता के क्रम में नमक निर्माता/भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी उद्यम/संस्था से इस संविदा के अधीन अनुबंधित नमक निर्माता की जोखिम एवं खर्चों पर नमक प्रदाय आदेश देने के सात दिवस के बाद से आनुपातिक तौर पर नमक की पूर्ति करा लें। इस स्थिति में कार्पोरेशन को हुई क्षति/हानि एवं खर्चों की स्वीकृत दर का 10% या वास्तविक जो अधिक हो, अदा करने का समस्त उत्तरदायित्व अनुबंधित नमक निर्माता का होगा।
13. जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जाती है उसे स्वीकृत दर पर वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए अनुबंध करना होगा। निविदा 1 अप्रैल 2010 से एक वर्ष के लिए मान्य होगी जो आगामी तीन माह तक बढ़ाई जा सकती है। जो अनुबंधित नमक निर्माता को मान्य करना अनिर्वाय होगा।
14. निविदा नियमों एवं शर्तों का पालन नहीं किए जाने की दशा में जमा अमानत/जमानत राशि निगम के पक्ष में राजसात कर नाम काली सूची में दर्ज की जावेगी।
15. क्रय की अन्य शर्तें छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 के अनुसार हैं।
16. कार्पोरेशन का यह प्रदाय आदेश अहस्तांतरणिय है, जिस निविदाकार को यह कार्य स्वीकृत किया जायेगा, उसे ही यह कार्य अपने नाम से करना होगा। अन्यथा निविदा निरस्त कर, जमा अमानत/जमानत राशि निगम के पक्ष में राजसात कर ली जायेगी।
16. किसी भी निविदा को बिना कारण बतलाये निरस्त करने का पूर्ण/आंशिक मान्य अथवा अमान्य करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

// भुगतान एवं डिलीवरी प्रक्रिया //

1. आयोडीनयुक्त नमक के पैकिंग के समय 30 पी.पी.एम. सांद्रता का होना चाहिए व 06 माह की समयावधि समाप्ति पर आयोडीन मात्रा 15 पी.पी.एम. से कम नहीं होना चाहिए ।
2. प्रदाय किये जाने वाला नमक पी.एफ.ए. एक्ट 1954 के अंतर्गत निर्धारित मानक स्तर, आई0एस0आई0स्टैंडर्ड एवं निम्नलिखित स्पेशिफिकेशन का होना चाहिए जिसके लिए नमक प्रदाय के दौरान नमक आयुक्त का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

A.15.01-Iodised Salt means a crystalline solid, white or pale, pink or light grey in colour, free from contamination with clay, grit and other extraneous adulterants and impurities. It shall conform to the following standards, namely :-

Moisture	-	Not more than 6.0% by weight of the undried sample.
Sodium Chloride (NaCl)	-	Not less than 96% by weight on dry basis.
Matter insoluble in water	-	Not more than 1% by weight on dry basis.
Matter soluble in water other than Sodium Chloride	-	Not more than 3% by weight on dry basis.
Iodine Content at -		
(a) Manufacturers level	-	Not less than 30 parts per million on dry weight basis.
(b) Distribution channel including retail level	-	Not less than 15 parts per million on dry weight basis.

3. नमक 01 किलोग्राम नेट वजन, 60 माईक्रॉन के पॉलीपैक में प्रदाय किया जावेगा । एक किलोग्राम के पॉलीपैक पर ब्रांडिंग का प्रारूप निगम द्वारा प्रदाय किया जावेगा, जिसकी प्रिंटिंग नमक निर्माता / निविदादाता करायेगा । अमृत नमक के ब्रांडिंग के प्रारूप की छायाप्रति निविदा फार्म के साथ संलग्न है, जिसे तीन रंगों में छपवाया जाना है पॉली फिल्म साफ, एक समान टेक्सचर की, ट्रांसपिरेट, मजबूत, बिना किसी प्रकार के छेद की, न्यूनतम 60 माईक्रॉन स्तर की होगी । नमक की पैकिंग से संबंधित नमूना निगम द्वारा दी गई डिजाईन में प्रिंट कराकर, पैकिंग के पूर्व अनुमोदित कराना होगा व तत्पश्चात ही निगम से सहमति मिलने पर वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप ही इसकी छपाई अच्छी किस्म की स्याही से प्रदायकर्ता के द्वारा कराई जावेगी । घटिया किस्म की स्याही का प्रयोग न किया जावे, अन्यथा कटौत्रा किया जावेगा ।

राज्य में नमक की आपूर्ति **अमृत नमक** के नाम से आवश्यकतानुसार पॉलिपैक पर निर्धारित प्रारूप पर ब्रांडिंग कर की जावेगी । अमृत नमक का पॉलिपैक ट्रांसपेरेट (**TRANSPARENT**) रहेगा ।

4. निविदा में आयोडीनयुक्त नमक की दर (एफ.ओ.आर.) छत्तीसगढ़ स्थित गोदामों पर रेल / सड़क माध्यम से परिवहन कर लोडिंग, अनलोडिंग एवं स्टेकिंग सहित चाही गई है । दरें समस्त करों सहित होंगी ।
5. 01 किलोग्राम वजन के पॉलीपैक, 50-50 की संख्या में नये एच.डी.पी.ई. बैग्स में पैक कर प्रदाय किये जायेंगे । आयोडीनयुक्त नमक परिवहन के साथ 500 खाली पॉलीपैक भी रखी जावेगी, जो कटी-फटी थैलियों के स्थान पर काम आ सके ।
6. निगम को निविदादाता / नमक निर्माता के कारखाने / गोदाम आदि स्थानों पर नमक की पिसाई, पैकिंग, किस्म, मात्रा आदि का निरीक्षण का अधिकार होगा । निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो आदेश निरस्त करने का अधिकार निगम को होगा ।
7. निविदादाता / नमक निर्माता द्वारा आयोडीनयुक्त नमक के प्रदाय संबंधी निर्देशों का पालन न करने पर निगम द्वारा अनुबंध समाप्त करने, अनुबंध के साथ जमा अमानत/जमानत राशि अपने पक्ष में राजसात करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

कृ.प.उ.10

8. यदि प्रदाय किया गया नमक एवं पैकिंग मटेरियल छपाई की स्याही उपयुक्त, गुणवत्ता मानक स्तर का नहीं पाया जाता है तो निगम भुगतान अस्वीकृत करने के साथ-साथ अनुबंध एक पक्षीय रूप से समाप्त करते हुए अमानत / जमानत राशि राजसात कर सकेगा ।
9. अनुबंधित नमक निर्माता द्वारा नमक प्रदाय के साथ गुणवत्ता का प्रमाणिकरण साल्ट कमिश्नर से अधिकृत सर्वेयर की रिपोर्ट तथा प्रदाय किया गया नमक आई.एस.आई. स्टैण्डर्ड एवं पी.एफ.ए. एक्ट द्वारा निर्धारित मानक स्तर का होने संबंधी प्रमाण पत्र किसी मान्यता प्राप्त लैब का प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्राप्तकर्ता जिले से नमक प्राप्ति की पावती तौल पत्रक सहित निगम के रायपुर स्थित मुख्यालय में प्रस्तुत करेगा। निगम को प्राप्त आयोजनयुक्त नमक से संबंधित 90% भुगतान, उक्त दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करने पर जांचोपरांत एवं सही पाये जाने पर भुगतान किया जायेगा और शेष 10% का भुगतान जिला प्रबंधक से नमक प्राप्ति की मात्रा आदि की पुष्टि प्राप्त होने के बाद एवं अपने स्त्रोतों से संतुष्ट होने के पश्चात किया जावेगा ।
- 9 (अ) प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत नमक की देयकों की 1% राशि जमानत राशि के रूप में कटौती कर, जमा रखी जावेगी। जो कार्योपरांत किसी भी प्रकार के विवाद नहीं होने की स्थिति में वापस की जायेगी ।
- (ब) रोक से नमक परिवहन की दशा में आर आर. क्रमांक दिनांक तथा स्थान सहित नमक प्रेषित जिले का नाम प्रदाय केन्द्र का नाम भेजी गई मात्रा ट्रक चालान क्रमांक दिनांक व ट्रक क्रमांक सहित विवरण देना होगा ।
10. भुगतान वास्तविक रूप से प्रदाय किये गये नेट नमक का भुगतान होगा। यह प्राप्ति स्थल पर शत-प्रतिशत तौलकर जमा कराया जावेगा ।
11. कार्पोरेशन द्वारा स्वीकृत अनुबंधित नमक निर्माता के साथ अनुबंध के रहते हुए भी अनुबंधित नमक प्रदाय हेतु ऐसे अन्य उपाय /व्यवस्था को नियुक्त कर सकता है जो नमक प्रदाय आदेश को निर्बाध और गति पूर्ण से पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, इस मामले में प्रबंधन को पूरे अधिकार होंगे कि वह नियुक्त अनुबंधित नमक निर्माता के साथ - साथ या स्वतंत्र रूप से ऐसी समानांतर व्यवस्था से नमक की पूर्ति करावे। इसके अलावा भी प्रबंधन को सर्वाधिकार होंगे, तथा अनुबंधित नमक निर्माता की आपत्ति व्यवस्था के लिये मान्य नहीं होगी। यदि कार्पोरेशन चाहे तो किसी भी अनुबंधित नमक प्रदायकर्ता को स्वीकृत पूर्ण अथवा आंशिक नमक प्रदाय के आदेश निविदा में भाग लिये नमक निर्माता से कर सकता है। इसमें नियुक्त नमक निर्माता कि कोई आपत्ति / क्षतिपूर्ति मान्य नहीं होगी ।
12. अनुबंध के साथ निविदादाता / नमक निर्माता के द्वारा रूपये 20,00,000=00 (रूपये बीस लाख मात्र) की राशि जमानत के रूप में जमा करना होगा, जो संतोषजनक कार्य समाप्ति के पश्चात अनुबंध समाप्त होने पर तथा सभी देयकों के भुगतान होने पश्चात किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, वापस की जायेगी ।
13. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर का निर्णय अंतिम होगा।
14. यह कि निविदादाता / नमक निर्माता द्वारा प्रदाय किया जाने वाला नमक पी.एफ.ए. एक्ट के अंतर्गत मानक स्तर का 30 पी.पी.एम. का होगा। यदि इसमें कमी पाई जाती है तो निगम द्वारा निविदादाता / नमक निर्माता पर निम्न प्रकार के कटौती किये जायेंगे :-
- (अ) पी.एफ.ए. एक्ट के अंतर्गत नमक में नमी का प्रतिशत निर्धारित मात्रा से यदि अधिक नमी पाई जाती है तो प्रदायकर्ता के बिल से 5% तक कटौती किया जा सकेगा ।
- (ब) प्रदाय किये जाने वाले नमक में आयोजिन की मात्रा का पी.पी.एम. पैकिंग के समय 30 पी.पी.एम. एवं छः माह तक की अवधि तक 15 पी.पी.एम. होना अनिवार्य है। परीक्षण के समय यदि पी.पी.एम. में कमी पाई जाती है तो निगम को निविदादाता / नमक निर्माता के बिल से 5% तक की दर से कटौती करने का अधिकार रहेगा ।

- (स) प्रदाय किये जाने वाले नमक की क्वालिटी यदि पी0एफ0ए0 एक्ट के तहत निर्धारित मानक स्तर से कम पाया जाता है तो उसे अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा । इसमें निविदादाता/नमक निर्माता की आपत्ति मान्य नहीं होगी ।
- (द) यदि एक किलोग्राम पॉलीपैक जिमसें नमक प्रदाय किया जाता है, इसका माइक्रान 60 से कम पाया जाता है तो प्रदायकर्ता के बिल से 5% तक का कटौत किया जा सकेगा ।
- (ई) प्रदाय किया गया नमक की निर्धारित मात्रा/गुणवत्ता मानक स्तर का नहीं पाये जाने पर प्रदायकर्ता को नमक मूलतः वापस की जा सकती है जिसे प्रदायकर्ता अपने खर्चों से उठायेगा तथा उसमें होने वाली हम्माली/ परिवहन/ भण्डारण आदि समस्त खर्चों की वसूली प्रदायकर्ता के देयक से की जाएगी ।
- (फ) निगम को देय बकाया राशि की वसूली छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के नियमों एवं प्रावधानों के तहत, भू-राजस्व बकाया की भांति की जावेगी ।
15. निविदा में प्रस्तावित 18 (अटठारह) केन्द्र के अतिरिक्त प्रदाय केन्द्रों पर जिला प्रबंधक द्वारा प्रदायकर्ता से ही नमक परिवहन कराए जाने की दशा में निगम द्वारा जिले के संबंधित बेसडिपो की स्वीकृत एल.आर.टी. परिवहन दर के हिसाब से (लोडिंग - अनलोडिंग हम्माली एवं स्टेकिंग व्यय राशि 6.00 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कटौत कर) अनुबंधित प्रदायकर्ता फर्म को ही नियमानुसार भुगतान किया जावेगा । एल.आर.टी. देयकों से शासन द्वारा लागू कर वसूली योग्य होगी, तथा शासन के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
16. रेक प्वाइंट से नमक की डिलेवरी लेकर निगम द्वारा स्वयं अथवा अपने नियुक्त परिवहनकर्ता से परिवहन कराए जाने की दशा में स्थानीय परिवहन, अनलोडिंग हम्माली एवं स्टेकिंग की राशि प्रति क्विंटल 10.00 रुपये कटौत कर प्रदायकर्ता को नमक का भुगतान किया जाएगा ।
17. किसी भी प्रकार के न्यायालयीन विवाद होने की दशा में न्यायालय का क्षेत्राधिकार रायपुर (छत्तीसगढ़) स्थित न्यायालय रहेगा ।

// छत्तीसगढ़ स्थित प्रदाय केन्द्र / गोदाम का विवरण, जहां आयोडीनयुक्त नमक की पूर्ति किया जाना है //

क्रं.	जिला का नाम	जिले में नमक की प्रतिमाह अनुमानित आवश्यकता (मात्रा मे.टन में)	जिले में स्थित बेसडिपो/ प्रदाय केन्द्र / गोदाम जहां पर आयोडीनयुक्त नमक रेल/सड़क परिवहन से पूर्ति किया जाना है ।
01	रायपुर	1090	रायपुर
02	धमतरी	200	धमतरी
03	दुर्ग	925	दुर्ग
04	महासमुंद	355	महासमुंद
05	राजनांदगांव	390	राजनांदगांव
06	कबीरघाम	250	कबीरघाम
07	बिलासपुर	825	बिलासपुर
08	रायगढ़	435	रायगढ़
09	जशपुर	215	जशपुर
10	जांजगीर	460	अकलतरा
11	कोरबा	335	कोरबा
12	सरगुजा	800	विश्रामपुर
13	कोरिया	185	कोरिया
14	जगदलपुर	500	जगदलपुर
15	नारायणपुर	50	नारायणपुर
16	बीजापुर	100	बीजापुर
17	दंतेवाड़ा	200	दंतेवाड़ा
18	कांकेर	215	कांकेर
योग		7530	

// निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण //

प्रेषक,

..... (नमक निर्माता का नाम)
 (एवं पूर्ण पता)

निविदाकार अपना
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो यहाँ चिपकाएँ

प्रति,

प्रबंध संचालक,
 छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लिमिटेड,
 रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रिय महोदय,

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लिमिटेड, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्थित विभिन्न प्रदाय केन्द्रों / गोदामों में आयोजित नमक (आई.एस.आई.स्टैंडर्ड) क्रय हेतु प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हमने / मैंने निगम के मुख्यालय में रसीद नंबर दिनांक..... को रुपये जमाकर यह निविदा फार्म क्रय किया है। हमने / मैंने निविदा के आमंत्रण में दिए गए निर्देशों/निविदा/संविदा शर्तों, नियमों तथा इसके परिशिष्टों में दिए गए विवरण को भली भांति पढ़ लिया है, उनको समझा लिया तथा हम / मैंने उनके पालन के लिए सहमत हैं/हूँ।

2. हम/मैंने आयोजित नमक छत्तीसगढ़ राज्य स्थित विभिन्न प्रदाय केन्द्रों में एफ0ओ0आर0 (लोडिंग, अनलोडिंग एवं स्टैकिंग सहित) (दरें समस्त करें सहित) पहुंचाकर देने संबंधी प्रकाशित निविदा के तारतम्य में यह निविदा भर रहे हैं। हमारा / मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है -

- (01) निविदाकार का नाम व पता
- (02) दूरभाष क्रमांक कार्यालय
- इंडस्ट्रीज
- (03) निविदाकार की फर्म का स्वरूप (फर्म/
कंपनी/स्वामित्व/हिंदू अविभाजित परिवार)
- (04) मुखिया (कर्ता) का नाम व पता
- (05) यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त
भागीदार के नाम/पते (भागीदारी विलेख
की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- (06) फर्म की स्थापना, पंजीयन क्रमांक
एवं दिनांक (सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें)
- (07) साल्ट कमिश्नर द्वारा जीवित पंजीकृत
पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (सत्यप्रतिलिपि
संलग्न करें)
- (08) आयकर रिटर्न तथा पेन
की सत्य प्रति संलग्न करें।
- (09) बैंकर का नाम शाखा सहित
(खाता क्रमांक लिखें)

कृ.प.उ.14

- (10) आयोडीनयुक्त नमक निर्माता कार्य का अनुभव वर्षों का है (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- (11) वर्तमान में किस शासकीय / अर्द्ध शासकीय संस्था में नमक प्रदाय कार्य कर रहे हैं, विवरण दें ।
- (12) निर्धारित जमा की गई अमानत राशि का विवरण :
 रू०
 बैंक ड्राफ्ट नं०
 बैंक का नाम
- दिनांक
- (13) इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

3. हमारी/मेरी निविदा फार्म में उल्लेखित की गई दरें निविदा खुलने की तारीख से नब्बे दिन तक तथा परिशिष्ट-दो के बिंदु 13 वर्णित स्थिति अनुसार वैध रहेंगी, जिसे मानने के लिए हम/मैं बाध्य रहेंगे/रहूँगा/रहूँगी।
4. यदि निगम द्वारा हमें/मुझे आयोडीनयुक्त नमक प्रदाय का कार्य सौंपा जाता है तो हम / मैं निर्धारित अवधि में नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करके अनुबंध करने के लिए सहमत है / हूँ ।
5. हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं / करता हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियाँ मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही है ।

दिनांक हस्ताक्षर

नाम

फर्म का नाम

पूरा पता

हैसियत

मुहर

नोट:- इसमें अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से भरे एवं संपूर्ण कालम में प्रविष्टि अतिआवश्यक है, अन्यथा अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम

// आयोडीनयुक्त नमक (आई.एस.आई.स्टैंडर्ड) प्रदाय की दर //

आयोडीनयुक्त अमृत नमक (आई.एस.आई.स्टैंडर्ड) एफ.ओ.आर. वर्ष 2010-11 में प्रदाय की दर :-

क्रं	विवरण	दर रुपये प्रति क्विंटल	
		अंकों में	शब्दों में
01	आयोडीनयुक्त नमक की प्रदाय दर (एफ.ओ.आर.) रायपुर, धमतरी, दुर्ग, महासमुंद, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, जांजगीर (अकलतरा), कोरबा, सरगुजा (विश्रामपुर), कोरिया, जगदलपुर, नारायणपुर, बीजापुर, द.ब. दंतेवाड़ा, एवं उ.ब.कांकेर स्थित स्थानीय गोदामों में स्टेकिंग करने तक की दर (दरें समस्त करों सहित होंगी)		

उपरोक्तानुसार दरें (एफ.ओ.आर. एवं समस्त करों सहित) मेरे / हमारे द्वारा भरी गई हैं ।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम

फर्म का नाम

पूरा पता

हैसियत

मुहर

करार
नमूना प्रति
(सौ रूपये मूल्य का मुद्रांक पत्र)

चूंकि छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड मेरे / हमारे द्वारा दिनांक को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर को प्रस्तुत मुहरबंद निविदा के प्रत्युत्तर में कार्पोरेशन के रायपुर, धमतरी, दुर्ग, महासमुंद, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, जांजगीर (अकलतरा), कोरबा, सरगुजा (विश्रामपुर), कोरिया, जगदलपुर, नारायणपुर, बीजापुर, द.ब.दंतेवाड़ा, एवं उ.ब.कांकेर स्थित स्थानीय गोदामों में आयोडीनयुक्त नमक स्टेकिंग करने तथा समस्त करें सहित तक की दरें हेतु संविदा स्वीकृत करने के लिए सहमत हैं। अतः मैं / हम (यहाँ संविदाकार के पूरे नाम और पते का उल्लेख करें) मेसर्स जो कि एक पंजीयत निर्माता / भागीदारी फर्म / स्वामितव (प्रोपराइटरशिप फर्म/ कंपनी है और जिसके भागीदार / स्वामी) श्री पुत्र श्री निवासी एवं फर्म का पंजीकृत पता (जिसे इसमें इसको आगे निविदाकार / नमक निर्माता कहा गया है एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर (जिसे इसमें इसको आगे कार्पोरेशन कहा गया है) के बीच आज दिनांक को यह करार निष्पादित करता हूँ / करते हैं और इसके द्वारा इस बात की पुष्टि करता हूँ / करते हैं कि मैंने / हमने छत्तीसगढ़ स्थित विभिन्न निर्धारित प्रदाय केन्द्रों / गोदामों में आयोडीनयुक्त नमक प्रदाय करने हेतु संविदाकार की नियुक्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लि. द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक दिनांक तथा संविदा की सामान्य शर्तों और उसके अनुबंधों, निर्देशों तथा परिशिष्टों का परीक्षण कर लिया गया है और उन्हें समझ लिया है, और उनसे आबद्ध रहने का करार करता हूँ/करते हैं। मैं/हम, मेरे/हमारे द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन, रायपुर को प्रस्तुत निविदा के अनुमोदन के परिणामस्वरूप प्रस्ताव पत्र क्रमांक दिनांक में जो इस करार का एक भाग है, मैं / हम विनिर्दिष्ट की गई दरों पर निविदा के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार उक्त कार्य स्वेच्छा से ले रहा हूँ /ले रहे हैं। मैं/हम उक्त कार्पोरेशन को यह आश्वासन देता हूँ / देते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य को इस संविदा की अवधि पर्यन्त सभी अवस्थाओं पर मेरी / हमारी सर्वोत्तम योग्यता से करूंगा / करेंगे।

यह करार दिनांक से तक के लिए या उस दिनांक तक, जिस तक यह संविदा बढ़ाई जाए, लागू रहेगा।

(संविदाकार)
वह हैसियत, जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा है

कार्पोरेशन की ओर से
अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

साक्षी :-

(1)

.....

.....

(2)

.....

.....

साक्षी :-

(1)

.....

.....

(2)

.....

.....

fufonkclj ds glrk{lj o l hy
vk; kMu; φr ued dz; fufonk 2010&11